

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2711 / 2022

दिनांक : 10 .09.2022

श्रीमती सिमरन कौर (RJ1081), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाड़ी (अलवर) को दिनांक 12.09.2022 से 10.03.2023 तक 180 दिवस का **मातृत्व अवकाश** (प्रथम संतान) दिनांक 10.09.2022 से 11.09.2022 एवं 11.03.2023 से 12.03.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

डॉ. टीना शर्मा (RJ0842), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाड़ी (अलवर) को **श्रीमती सिमरन कौर** के उक्त **मातृत्व अवकाश** की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाड़ी (अलवर) के पद का **अतिरिक्त कार्यभार** सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा **पदस्थापित/नियुक्त** कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. डॉ. टीना शर्मा (RJ0842), जिनको सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाड़ी (अलवर) के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालयों के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।


आज्ञा से,

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 10-09-2022

कमांक:—स्था.बी.2 (4)/69/2016/6213

दिनांक : 10 .09.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 28736 दिनांक 07.09.2022 के सन्दर्भ में।
3. **श्रीमती सिमरन कौर** (RJ1081), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाड़ी (अलवर)
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाड़ी (अलवर)
5. डॉ. टीना शर्मा (RJ0842), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाड़ी (अलवर)
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाड़ी (अलवर)
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ. न्या., जोधपुर।


12.9.2022
सहायक रजिस्ट्रार